

फा.सं.ए.22011/1/2025-प्रशा-I(वि.वि.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 22 अक्टूबर, 2025

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित स्थानान्तरण/तैनाती संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कहां से	कहां
1.	श्रीमती सुनीता सिद्धू पी.एस.ओ.	डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव की अध्यक्षता में विधायी समूह	श्रीमती अकाली वी. कोंगे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी की अध्यक्षता में विधायी समूह

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
(भूपेन्द्र सिंह बिष्ट) 22/10/25
अवर सचिव (प्रशा. I)

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी।
2. सचिव (वि.वि.) के पी.एस.ओ
3. अपर सचिव (डॉ. मनोज कुमार)/अपर सचिव (प्रशा.)/ श्रीमती अकाली वी. कोंगे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी के प्रधान निजी सचिव।
4. कार्यालय आदेश फोल्डर।

फा.सं.ए.22011/1/2025-प्रशा-I(वि.वि.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 16 अक्टूबर, 2025

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित स्थानांतरण/तैनाती संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कहां से	कहां
1.	श्रीमती शिखा रूहिल्ला, प्रधान निजी सचिव	डॉ. के.वी. कुमार, अपर सचिव की अध्यक्षता में विधायी समूह	डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव की अध्यक्षता में विधायी समूह

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
(भूपेन्द्र सिंह बिष्ट)

अवर सचिव (प्रशा. I)

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी।
2. सचिव (वि.वि.) के पी.एस.ओ
3. अपर सचिव (डॉ. मनोज कुमार) के पी.एस.ओ./अपर सचिव (प्रशा.) के प्रधान निजी सचिव।
4. कार्यालय आदेश फोल्डर।

फा.सं.ए.45011/03/2023-प्रशा-I(वि.वि.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 08 अक्टूबर, 2025

कार्यालय आदेश

श्री गिरधर गोपाल वर्मा, सहायक विधायी परामर्शी, जो डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव की अध्यक्षता वाले विधायी समूह में तैनात हैं, अपने वर्तमान कर्तव्यों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक आईएलडीआर अनुभाग में समन्वयक का कार्यभार भी संभालेंगे। उन्हें निर्दिष्ट किए गए विधायी प्रकृति के कार्यों को उचित महत्व दिया जाएगा।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
(भूपेन्द्र सिंह बिष्ट) 8/10/25

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23385023

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी।
2. सचिव (वि.वि.) के पी.एस.ओ/ अपर सचिव (डॉ. मनोज कुमार) के पी.एस.ओ/ अपर सचिव (प्रशा.) के प्रधान निजी सचिव।
3. आईएलडीआर अनुभाग।
4. कार्यालय आदेश फोल्डर।

फा.सं.ए.45011/11/2023-प्रशा-I(वि.वि.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक : 06 अक्टूबर, 2025

कार्यालय आदेश

इस विभाग के दिनांक 03.10.2025 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के क्रम में, अब से, डॉ. बहादुर सिंह, सहायक विधायी परामर्शी प्रकाशन अनुभाग के शाखा अधिकारी होंगे।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
(भूपेन्द्र सिंह बिष्ट) 6/10/25

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 23385023

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी।
2. सचिव (वि.वि.) के पी.एस.ओ/ अपर सचिव (प्रशा.) के प्रधान निजी सचिव/ अपर विधायी परामर्शी (श्री जी. पनमेई) के निजी सहायक।
3. प्रकाशन अनुभाग।
4. कार्यालय आदेश फोल्डर।

फा.सं.ए-45011/3/2023-प्रशा-1(वि.वि.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 03 अक्टूबर, 2025

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित स्थानांतरण/तैनाती संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कहां से	कहां
1.	श्री संजय कुमार मीना, सहायक विधायी परामर्शी	सुश्री अकाली वी. कौंधे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी की अध्यक्षता में विधायी समूह	श्री जी. पनमेई, अपर विधायी परामर्शी की अध्यक्षता में विधायी समूह
2.	श्री ए.के. द्विवेदी, सहायक विधायी परामर्शी	श्री जी. पनमेई, अपर विधायी परामर्शी की अध्यक्षता में विधायी समूह	सुश्री अकाली वी. कौंधे, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी की अध्यक्षता में विधायी समूह

- श्री ए.के. द्विवेदी, सहायक विधायी परामर्शी, संसद अनुभाग के शाखा अधिकारी होंगे।
- विधायी-11 अनुभाग से संबंधित सभी विधिक एवं विधायी प्रस्ताव श्री शांति भूषण, अपर विधायी परामर्शी के माध्यम से भेजे जाएंगे।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(डॉ. के.वी. कुमार)

अपर सचिव (प्रशासन)

सेवा में,

- संबंधित अधिकारी।
- सचिव (वि.वि.) के पी.एस.ओ
- सभी अपर सचिव/संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी/अपर विधायी परामर्शी (श्री जी पनमेई) के प्रधान निजी सचिव।
- उप सचिव, विधायी-11 एवं संसद अनुभाग
- रोकड़ अनुभाग, संसद अनुभाग, विधायी-11 अनुभाग।
- कार्यालय आदेश फोल्डर।

फा.सं.ए-45011/3/2023-प्रशा-1(वि.वि.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 26 सितंबर, 2025

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित स्थानांतरण/तैनाती संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कहां से	कहां
1.	श्री कपिल कुमार, निजी सचिव	तैनाती अधीन	डॉ. के.वी. कुमार, अपर सचिव की अध्यक्षता में विधायी समूह
2.	श्री सुनील कुमार सिंह, निजी सचिव	तैनाती अधीन	श्री टी.एस. मुरलीधरन, अपर विधायी परामर्शी की अध्यक्षता में विधायी समूह
3.	सुश्री सौम्या, आशुलिपिक 'घ'	तैनाती अधीन	श्री जी. पनमेई, अपर विधायी परामर्शी की अध्यक्षता में विधायी समूह

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
(भूपेन्द्र सिंह बिष्ट)

अवर सचिव (प्रशा. 1)

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी।
2. सचिव (वि.वि.) के पी.एस.ओ
3. अपर सचिव (प्रशा.)/ संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी/ संबंधित अपर विधायी परामर्शी के प्रधान निजी सचिव।
4. रोकड़ अनुभाग
5. कार्यालय आदेश फोल्डर।

फा.सं.ए-45011/3/2023-प्रशा-1(वि.वि.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक : 08 सितंबर, 2025

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित स्थानान्तरण/तैनाती संबंधी आदेश तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश होने तक जारी किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	कहां से	कहां
1.	श्री एस महेश बाबू, उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा)	विधायी विभाग (मुख्य)	राजभाषा खंड
2.	श्री परीक्षित भोपले, उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा)	विधायी विभाग (मुख्य)	राजभाषा खंड

- इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिकारी आवश्यकतानुसार क्रमशः विधायी-11 अनुभाग और संसद अनुभाग से संबंधित मामलों में संबंधित समूह प्रमुखों को सहयोग करेंगे।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भूपेन्द्र सिंह बिष्ट
(भूपेन्द्र सिंह बिष्ट)

अवर सचिव (प्रशा. 1)

सेवा में,

- संबंधित अधिकारी।
- सचिव (वि.वि.) के पी.एस.ओ / अपर सचिव (प्रशा.) के पी.एस.ओ/ संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह) राजभाषा खंड के निजी सचिव/ संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी (श्रीमती अकाली वी. कोंघे) के प्रधान निजी सचिव
- विधायी-11 अनुभाग/संसद अनुभाग/ राजभाषा खंड।
- कार्यालय आदेश फोल्डर।

सं.ए-45011/06/2020-प्रशासन-I(वि.वि.)

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितंबर, 2025

विषय: विधायी विभाग में कार्य का वितरण

सचिव, विधायी विभाग के अनुमोदन से, इसके अंतर्गत सम्मिलित सभी पूर्ववर्ती आदेशों को अतिक्रमण करते हुए, उनके द्वारा विशेष रूप से निर्दिष्ट किए गए कार्यों के अतिरिक्त, विधायी विभाग के अधिकारियों के मध्य कार्य का वितरण निम्नानुसार किया जाता है:-

समूह	समूह के अधिकारी	मंत्रालय/विभाग/ सचिवालय	अन्य कार्यभार
I	डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव विधायी अधिकारी 1. श्री विनय कुमार मिश्रा, अपर विधायी परामर्शी 2. श्री प्रवीण कुमार तिवारी, उप विधायी परामर्शी 3. श्री के.के. शर्मा, उप विधायी परामर्शी 4. श्री गिरधर गोपाल, सहायक विधायी परामर्शी आशुलिपिकीय कार्य हेतु अधिकारी 1. श्रीमती. पद्मा नीलकंठन, वरिष्ठ पीपीएस 2. श्रीमती शिखा रुहिला, पीपीएस 3. श्रीमती रोज़ मिंज, पीपीएस 4. श्री शैलेश गंतारा, पीए (प्रादेशिक भाषा)	1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन 2. ऊर्जा 3. रक्षा 4. नागरिक उड्डयन 5. महिला एवं बाल विकास 6. पृथ्वी विज्ञान 7. पंचायती राज 8. सहकारिता 9. नीति आयोग	1. साइबर सुरक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन और एनआईसी प्रकोष्ठ 2. आईएलडीआर 3. आईगॉट कर्मयोगी- क्षमता निर्माण एकक मंत्रालयों/विभागों के कार्य जो अन्यथा अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं हैं।
II	श्री. आर.के. पट्टनायक, अपर सचिव विधायी अधिकारी 1. श्रीमती. आरती चोपड़ा, अपर विधायी परामर्शी	1. गृह मंत्रालय 2. वित्त (राजस्व के अलावा) 3. कॉर्पोरेट कार्य	1. विधायी विभाग (मुख्य)-विभागाध्यक्ष 2. विधायी-1 अनुभाग 3. प्रशासन-II अनुभाग

	2. श्री महेश चंद, सहायक विधायी परामर्शी 3. श्री. गंगेश कुमार, सहायक विधायी परामर्शी आशुलिपिकीय कार्य हेतु अधिकारी 1. श्रीमती सुमन, पीपीएस 2. श्री. एम. आर. दक्षिणामूर्ति, पीए (प्रादेशिक भाषा) 3. श्री अविनाश कुमार, आशुलिपिक 'घ'	4. कैबिनेट सचिवालय 5. राष्ट्रपति सचिवालय 6. विधि और न्याय 7. कोयला 8. खान 9. इस्पात 10. परमाणु ऊर्जा	एवं डिजिटलीकरण अनुभाग 4. रोकड़ अनुभाग 5. सोशल मीडिया यूनिट
III	डॉ. के. वी. कुमार, अपर सचिव विधायी अधिकारी 1. श्री सतीश मुरुगन पी, उप विधायी परामर्शी 2. श्री नवनीत पटियाल, सहायक विधायी परामर्शी 3. श्री वीरेंद्र सिंह, सहायक विधायी परामर्शी आशुलिपिकीय कार्य हेतु अधिकारी 1. श्रीमती सुनीता सिद्धू, पी.एस.ओ 2. श्री पी. अनिल कुमार, निजी सचिव (प्रादेशिक भाषा)	1. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग 2. श्रम एवं रोजगार 3. रेलवे 4. इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी 5. कौशल विकास एवं उद्यमिता 6. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा 7. अंतरिक्ष विभाग 8. सूचना एवं प्रसारण 9. संसदीय कार्य	1. प्रशासन-I अनुभाग 2. समन्वय अनुभाग 3. आरटीआई प्रकोष्ठ 4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
IV	श्रीमती अकाली वी. कोंगे, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी विधायी अधिकारी 1. श्री शांति भूषण, अपर विधायी परामर्शी 2. श्री चंद्रशेखर शर्मा, उप विधायी परामर्शी 3. श्री संजय कुमार मीणा, सहायक विधायी परामर्शी	1. राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष कर) 2. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन 3. आयुष 4. कृषि एवं किसान कल्याण 5. अल्पसंख्यक मामले 6. पर्यटन 7. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास 8. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन	1. विधायी-II अनुभाग और संसद अनुभाग 2. विधि प्रकोष्ठ और लिम्बस

	<u>आशुलिपिकीय कार्य हेतु अधिकारी</u> 1. श्रीमती पूर्णिमा जयशंकर, प्रधान निजी सचिव 2. श्री गोविंद माधव, आशुलिपिक श्रेणी 'घ'		
V	श्रीमती रेणु सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी विधायी अधिकारी 1. श्री चिन्नाराजा जी. नायडू, उप विधायी परामर्शी 2. श्री प्रशांत सिंह, उप विधायी परामर्शी 3. श्री दीपक बागसिंह, सहायक विधायी परामर्शी <u>आशुलिपिकीय कार्य हेतु अधिकारी</u> 1. श्रीमती सविता, प्रधान निजी सचिव 2. श्री आशीष चौधरी, आशुलिपिक श्रेणी 'घ'	1. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण 2. वाणिज्य एवं उद्योग 3. संचार 4. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस 5. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 6. भारी उद्योग 7. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम 8. वस्त्र	1. सुधार अनुभाग और भारत संहिता यूनिट 2. जीएसआरओ अनुभाग 3. ई-ऑफिस कार्यान्वयन
VI	श्री जी. पनमेई, अपर विधायी परामर्शी विधायी अधिकारी 1. श्री आर.एस. जयकृष्णन, अपर विधायी परामर्शी 2. डॉ. बहादुर सिंह, सहायक विधायी परामर्शी 3. श्री ए.के. द्विवेदी, सहायक विधायी परामर्शी <u>आशुलिपिकीय कार्य हेतु अधिकारी</u> 1. श्री अनिल कुमार जैफ, आशुलिपिक ग्रेड 'डी'	1. शिक्षा 2. जल शक्ति 3. मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी 4. जनजातीय कार्य 5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 6. युवा कार्यक्रम और खेल 7. ग्रामीण विकास	1. विधायी-III अनुभाग 2. प्रकाशन अनुभाग (सभी विधायी प्रस्ताव डॉ. के.वी. कुमार, अपर सचिव के माध्यम से भेजे जाएंगे)

VII	श्री टी.एस. मुरलीधरन, अपर विधायी परामर्शी <u>विधायी अधिकारी</u> 1. श्री बीएनएसवीएसके. बंगाराजू, उप विधायी परामर्शी 2. श्री संजय कुमार गौतम, सहायक विधायी परामर्शी 3. श्री अतुल कुमार सिंह, सहायक विधायी परामर्शी <u>आशुलिपिकीय कार्य हेतु अधिकारी</u> 1. श्री शुभम, आशुलिपिक 'घ'	1. राजस्व विभाग (अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) 2. विदेश मामले 3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 4. आवास एवं शहरी मामले 5. संस्कृति 6. रसायन एवं उर्वरक 7. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय 8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता	1. मुद्रण-I और मुद्रण-II अनुभाग 2. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (सभी विधायी प्रस्ताव श्री आर.के. पटनायक, अपर सचिव के माध्यम से भेजे जाएँगे)
-----	--	---	---

नोट:- 1. श्री दिवाकर सिंह, अपर सचिव (सेवानिवृत्त) सचिव, विधायी विभाग द्वारा उन्हें निर्दिष्ट किए गए कार्यों का निर्वहन करेंगे।

2. श्री महेश बाबू, उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा) और श्री परीक्षित भोपले, उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा), आवश्यकतानुसार क्रमशः विधायी-II और संसद अनुभाग संबंधी मामलों में संबंधित समूह प्रमुख के निदेशानुसार कार्य का निर्वहन करेंगे।

3. श्री गिरधर गोपाल, सहायक विधायी परामर्शी प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और उन्हें निर्दिष्ट हुए समूह से संबंधित कार्य के अतिरिक्त विधायी-II अनुभाग संबंधी कार्यों का भी निर्वहन करेंगे।

4. श्री पी.एस. प्रसाद, गोपनीय अधीक्षक, सचिव, विधायी विभाग के कार्यालय में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त, वे समूह-I प्रमुख (डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव) द्वारा निर्दिष्ट किए गए कार्यों का भी निर्वहन करेंगे।

अनुभाग-वार कार्य का वितरण

क्र.सं.	अनुभाग	नियंत्रण/शाखा अधिकारी
1.	विधायी प्रारूपण एवं अनुसंधान संस्थान	डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव- पाठ्यक्रम समन्वयक श्री के. के. शर्मा, उप विधायी परामर्शी
2.	साइबर, आईटी प्रबंधन और एनआईसी सैल	डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव श्री विनय कुमार मिश्रा, अपर विधायी परामर्शी
3.	आई-गॉट कर्मयोगी-क्षमता निर्माण यूनिट	डॉ. मनोज कुमार, अपर सचिव श्री गिरधर गोपाल, सहायक विधायी परामर्शी
4.	प्रशासन-1 अनुभाग समन्वय अनुभाग	डॉ. के. वी. कुमार, अपर सचिव श्री भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, अवर सचिव
5.	आर.टी.आई सैल	डॉ. के. वी. कुमार, अपर सचिव श्री. पी.सी.मीणा, निदेशक
6.	प्रशासन- II अनुभाग डिजीटाइजेशन अनुभाग	श्री आर.के.पटनायक, अपर सचिव (एचओडी- एलडी) श्रीमती राखी बिस्वास, अवर सचिव (एचओओ)
7.	विधायी- I अनुभाग	श्री आर.के.पटनायक, अपर सचिव श्रीमती आरती चोपड़ा, अपर विधायी परामर्शी
8.	विधायी- II अनुभाग	श्रीमती अकाली वी. कोंगे, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी श्री शांति भूषण, अपर विधायी परामर्शी (सभी विधायी प्रस्ताव उनके माध्यम से भेजे जाएंगे) श्री हंस राज मीना, उप सचिव श्रीमती रचना, अवर सचिव
9.	विधायी- III अनुभाग	श्री जी.पानमेई, अपर विधायी परामर्शी

		श्री आर.एस.जयकृष्णन, अपर विधायी परामर्शी श्री बीओ जोसेफ, उप विधायी परामर्शी (प्रादेशिक भाषा)
10.	संसद अनुभाग	श्रीमती अकाली वी. कोंगे, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी श्री हंसराज मीना, उप सचिव
11.	बजट एवं लेखा अनुभाग	श्रीमती रंजना चोपड़ा, एसएस एवं एफए श्री सुनील कुमार जैन, उप सचिव
12.	शुद्धि भारत संहिता एकक	डॉ.मनोज कुमार, अपर सचिव श्रीमती रेनू सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी श्री दीपक बागसिंह, सहायक विधायी परामर्शी
13.	जी.एस.आर.ओ. अनुभाग	श्रीमती रेनू सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी श्री प्रशांत सिंह, उप विधायी परामर्शी
14.	ई-ऑफिस कार्यान्वयन	श्रीमती रेनू सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी श्री चिन्नाराजा जी नायडू, उप विधायी परामर्शी
15.	मुद्रण- I & II अनुभाग	श्री टी.एस.मुरलीधरन, अपर विधायी परामर्शी श्री बीएनएसवीएसके बंगराजू, उप विधायी परामर्शी
16.	प्रकाशन अनुभाग	श्री जी.पानमेई, अपर विधायी परामर्शी श्री ए.के.द्विवेदी, सहायक विधायी परामर्शी
17.	रोकड़ अनुभाग	श्री आर.के. पट्टनायक, अपर सचिव श्रीमती राखी बिस्वास, अवर सचिव

18.	राजभाषा अनुभाग	डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (रा.भा. खंड) श्री त्रिलोक शर्मा, अपर विधायी परामर्शी (रा.भा. खंड)
19.	विधि साहित्य प्रकाशन	श्री अश्वनी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (एचओडी-वीएसपी) श्री प्रदीप कुमार सिंह, उप सचिव
20	राजभाषा खंड	डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (एचओडी-रा.भा. खंड) श्री पी.सी.मीणा, निदेशक
21	सोशल मीडिया एकक	श्री आर.के.पटनायक अपर सचिव श्री गंगेश कुमार, सहायक विधायी परामर्शी
22	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	डॉ.के.वी.कुमार, अपर सचिव श्री टी.एस.मुरलीधरन, अपर विधायी परामर्शी श्री संजय कुमार गौतम, सहायक विधायी परामर्शी
23	विधि प्रकोष्ठ लिम्बस	श्रीमती अकाली वी. कोंगे, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी श्री चन्द्रशेखर शर्मा, उप विधायी परामर्शी

2. इस कार्य वितरण से पूर्व अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों एवं विधायी परामर्शियों तथा अन्य अधिकारियों को सौंपे गए विधायी प्रस्तावों पर उन्हीं अधिकारियों द्वारा कार्य किया जाएगा और अपर सचिव/संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शियों/अपर विधायी परामर्शियों को निर्दिष्ट किए गए नए विधायी प्रस्तावों पर संबंधित समूहों के अधिकारियों की सहायता से उनके द्वारा कार्य किया जाएगा। एसआरओ संबंधी लंबित फाइलों की जाँच और पुनरीक्षण उन अधिकारियों द्वारा किया जाएगा जिन्होंने इस कार्य आवंटन से पूर्व इन प्रस्तावों पर कार्य किया था।

3. संबंधित समूह प्रभारी द्वारा अंतिम निस्तारण से पूर्व महत्वपूर्ण अधीनस्थ विधायी प्रस्तावों को श्री आर.के. पटनायक, अपर सचिव के नोटिस में लाया जाएगा।

4. विभाग में अधीनस्थ विधायी कार्यों की जाँच या पुनरीक्षण का अनुमोदन संबंधित विधायी समूह के समूह प्रमुख द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, जटिल मुद्दों से संबंधित मामलों में, उन्हें सचिव, विधायी विभाग की सहमति/अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मंत्रालयों/विभागों को वापस कर दिया जाएगा।

5. सभी समूह प्रमुखों को पिछले माह के दौरान किए गए निम्नलिखित मानदंडों/गतिविधियों पर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक सचिव को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी:-

- (i) संसदीय समितियों और अन्य समितियाँ के एटीआर से संबंधित मामले;
- (ii) डेटा और यूआईडी संख्या के साथ ई-समीक्षा अद्यतनीकरण
- (iii) वेबसाइट अद्यतनीकरण,
- (iv) फाइलों की समीक्षा/छँटाई और संग्रहण;
- (v) समूह के अधिकारियों का क्षमता निर्माण और आईगॉट सेवाओं का उपयोग,
- (vi) संसदीय आश्वासनों का निस्तारण,
- (vii) आरटीआई का समय पर निस्तारण;
- (viii) जन शिकायतों का निस्तारण,
- (ix) निस्तारित किए गए सभी महत्वपूर्ण मामलों के पृष्ठभूमि पत्र प्रस्तुत करना;
- (x) वीआईपी/पीएमओ संदर्भों का निस्तारण;
- (xi) अप्रचलित कार्यालय मदों की पहचान एवं निस्तारण;
- (xii) वार्षिक रिपोर्ट के संकलन हेतु गतिविधि विवरण तैयार करना,
- (xiii) माह में खोली गई ई-फाइलों की संख्या;
- (xiv) माह में खोली गई भौतिक फाइलों की संख्या।

के. वी. कुमार

डॉ. के. वी. कुमार

अपर सचिव (प्रशा.)

प्रतिलिपि:-

1. संबंधित अधिकारी।
2. विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के निजी सचिव/सचिव (वि.वि.) के प्रधान स्टाफ अधिकारी।
3. राजभाषा खंड और विधि साहित्य प्रकाशन सहित विधायी विभाग के सभी अधिकारी/अनुभाग।
4. एसएसए/एनआईसी अनुभाग, को इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।